न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 236 सन 2020

अनवान :–

1. बिरमाराम पुत्र सुरजाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी ननाउ तहसील नोहर हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. सुरजाराम पुत्र आशाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी ननाउ तहसील नोहर
2. महावीर प्रसाद पुत्र सुरजाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी ननाउ तहसील नोहर
3. रामस्वरूप पुत्र सुरजाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी ननाउ तहसील नोहर
4. रामेश्वर पुत्र सुरजाराम (फोत)
   4/1 विमला पत्नी रामेश्वर जाति ब्रहाम्ण निवासी ननाउ तहसील नोहर
   4/2 विकाश पुत्री रामेश्वर जाति ब्रहाम्ण निवासी ननाउ तहसील नोहर
   4/3 सोनू पुत्री रामेश्वर जाति ब्रहाम्ण निवासी ननाउ तहसील नोहर
5. बाबुलाल पुत्र सुरजाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी ननाउ तहसील नोहर
6. सन्तलाल पुत्र सुरजाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी ननाउ तहसील नोहर
7. विधादेवी पुत्री सुरजाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी ननाउ तहसील नोहर
8. बिमलादेवी पुत्री सुरजाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी ननाउ तहसील नोहर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 03/09/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 601/589 की कुल 7.5820हैक व खाता संख्या 602/578 की कुल 17.9960हैक में से 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि वादी के दादा आशाराम वल्द नानूराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा आशाराम वल्द नानूराम के देहान्त होने पर वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है तथा वादी के दादा आशाराम वल्द नानूराम ने वाद भूमि के अलावा अन्य ग्राम/खातों की भूमियों की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी जो सयुक्त परिवार की दाड़ालाई पैतृक सम्पति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी के दादा आशाराम वल्द नानूराम ने सयुक्त परिवार की आय एवं पैतृक सम्पति से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से करवाई की गई थी वह सयुक्त परिवार की पैतृक सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यो का बराबर का हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र रामेश्वर फोत हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 4/1 से 4/3 है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 4/3 ,7 ता 8 वादी की बहने /भतिजी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 व रामेश्वर की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,4/1 ,4/2 व 5 ,6 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलीये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,4/1, 4/2 ,5/6 के हक हिस्सा की भूमि जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तवा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,4/1 ,4/2 ,5 ,6 वहिव के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता आशाराम वल्द नानूराम के देहानत होने एवं उसके पिता आशाराम वल्द नानूराम ने सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य पैतृक सम्पति की आय से वाद भूमि उसके /प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से करवाई गई थी वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो सयुक्त परिवार की सम्पति है अर्थात पैतृक सयुक्त परिवार की सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ,4/1 ,4/2 , 5 ,6 जो वादी की बहन व रामेश्वर की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता ,4/1 ,4/2 ,5 ,6 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 , 4/1, 4/2, 5 ,6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है एवं अपने कथनों के समर्थन में जरिये अधिवक्ता इकवाल जवाब भी पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल किया गया है।एवं प्रतिवादी संख्या 9 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्यात् उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 601/589 की कुल 7.5820हैक व खाता संख्या 602/578 की कुल 17.9960हैक में से 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि वादी के दादा आशाराम वल्द नानूराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा आशाराम वल्द नानूराम के देहान्त होने पर वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है तथा वादी के दादा आशाराम वल्द नानूराम ने वाद भूमि के अलावा अन्य ग्राम/खातों की भूमियों की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी जो सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी के दादा आशाराम वल्द नानूराम ने सयुक्त परिवार की आय एवं पैतृक सम्पति से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से करवाई की गई थी वह सयुक्त परिवार की पैतृक सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र रामेश्वर फोत हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 4/1 से 4/3 है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 4/3 ,7 ता 8 वादी की बहने /भतिजी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 व रामेश्वर की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,4/1 ,4/2 व 5 ,6 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलीये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,4/1, 4/2 ,5/6 के हक हिस्सा की भूमि जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायिक दृष्टान्त आर.वी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है तथा न्यायाचिक दृष्टान्त आर.आर.डी 1998 पेज 646 एवं आरआरसी 2001 पेज 459 के अनुसार कोई भी खातेदार अपनी स्वेच्छा से आपसी सहमति पक्षकारो के मध्य राजीनामा के द्वारा भी हस्तान्तरित करने में सक्षम है इसप्रकार न्यायिक दृष्टान्त भी प्रकरण में पूर्णत्या चस्पा होते है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 601/589 की कुल 7.5820हैक व खाता संख्या 602/578 की कुल 17.9960हैक में से 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वादी के दादा आसाराम वल्द नानुराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है तथा वादी के दादा आसाराम वल्द नानुराम ने सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य पैतृक सम्पति की आय से वाद भूमि में कुछ भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से करवाई गई थी जो पैतृक सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का हक हिस्सा है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उसके नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि सयुक्त परिवार की आय की सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का बरावर का हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी का कथन है प्रतिवाादी संख्या 4/3 ,7 ,8 वादी की बहने एवं रामेश्वर की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,4/1 ,4/2 ,5/6 के पक्ष में किया जा चुका है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4/3 ,7 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हकों का त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,4/1 ,4/2 ,5 ,6 के हक हिस्सा की भूमि है जसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो कोई ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो शमिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है की सयुक्त परिवार की आय एव पैतृक सम्पति की आय से खरीद/अर्जित की गई सम्पति भी पैतृक सम्पति की श्रेणी आती है अर्थातं परिवार के सभी सदस्यो के हक हिस्सा की भूमि है वाद भूमि पैतृक सम्पति साबित होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है ।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 601/589 की कुल 7.5880 है भूमि में वादी अकेला 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/6 हिस्सा, व प्रतिवादी संख्या 4/1 ,4/2 बहिब 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 6 अकेला 1/6 हिस्सा, व खाता संख्या 602/578 की कुल 17.9960हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/4 हिस्सा भूमि में वादी संख्या 1 अकेला 1/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 4/1 ,4/2 बहिब 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 अकेला 1/6 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 3/9/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. बिरमाराम पुत्र सुरजाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 सुरजाराम पुत्र आशाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी ननाउ तहसील नोहर
2. महावीर प्रसाद पुत्र सुरजाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी ननाउ तहसील नोहर
3. रामस्वरूप पुत्र सुरजाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी ननाउ तहसील नोहर
4. रामेश्वर पुत्र सुरजाराम (फोत)
   4/1 विमला पत्नी रामेश्वर जाति ब्रहाम्ण निवासी ननाउ तहसील नोहर
   4/2 विकाश पुत्री रामेश्वर जाति ब्रहाम्ण निवासी ननाउ तहसील नोहर
   4/3 सोनू पुत्री रामेश्वर जाति ब्रहाम्ण निवासी ननाउ तहसील नोहर
5. बाबुलाल पुत्र सुरजाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी ननाउ तहसील नोहर
6. सन्तलाल पुत्र सुरजाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी ननाउ तहसील नोहर
7. विधादेवी पुत्री सुरजाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी ननाउ तहसील नोहर
8. बिमलादेवी पुत्री सुरजाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी ननाउ तहसील नोहर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 236 सन 2019 निर्णय दिनांक– 03/09/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर सावित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 601/589 की कुल 7.5880 है भूमि में वादी अकेला 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4/1 ,4/2 वहिव 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 6 अकेला 1/6 हिस्सा व खाता संख्या 602/578 की कुल 17.9960हैव भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/4 हिस्सा भूमि में वादी संख्या 1 अकेला 1/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 4/1 ,4/2 वहिव 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 अकेला 1/6 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 03/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner